(166)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक — /2019 निगरानी

निगरानी-0486/2019/उज्जैन/भू०रा०

1. लियाकत अली
2. रहमत अली
3. इनायत अली पुत्रगण नियाज अली जाति मुसलमान, धंधा खेती, निवासीगण बेडावन्या तहसील खाचरौद जिला उज्जैन म.प्र.

— आवेदकगण

प्रार्थी अभिभाषक श्री एस.आर. यादव
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 30/3/19
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

1. श्रीमती रईसा बी पति सलीम खां
2. श्रीमती शांतिबाई पति धुलजी जाति मीणा
3. श्री पुष्कर पिता धुलजी जाति मीणा निवासीगण ग्राम बेडावन्या तहसील खाचरौद जि.उज्जैन
4. श्री धन्ना पिता पन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम बुसनाबाद तहसील खाचरौद जि.उज्जैन

— अनावेदकगण

678
30/3/19

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 293/अ/2017—18 में आदेश दिनांक 05—02—2019 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है।

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बिना किसी उचित एवं वैध आधार पर होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में यह भी नहीं देखा कि अनावेदक ने रास्ता कहां से मांगा है तथा तहसील न्यायालय द्वारा रास्ता खोलने का आदेश कहां दिया व रास्ता आवेदक की भूमि में से खोलने में त्रुटि की है।

3. यह कि जिन पक्षकारों को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया

motor

...2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

198

168

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निगरानी-486/2019/उज्जैन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/02/2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25-09-2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है । अतः यह निगरानी अधिकार विहीन होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	